प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अवलोकन

–किशोर कुमार मालवीय

किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ज्ञान के साथ–साथ कौशल भी महत्वपूर्ण है। दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वही देश आगे हैं जिन्होंने कौशल का उच्च–स्तर प्राप्त कर लिया है। हमारा देश दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। कौशल की जरूरत को यहां भी मौजूदा सरकार ने काफी गंभीरता से न सिर्फ महसूस किया है बल्कि इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकार के इसी एहसास की उपज है। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में भारत अच्छी स्थिति में है क्योंकि हमारे पास 60 करोड़ 50 लाख लोग 25 साल से कम उम्र के हैं।

भारत विश्व में सबसे अधिक युवा राष्ट्रों में से एक है। यहां की कुल आबादी में से 62 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या रोजगार करने वालों (15 से 59 वर्ष) की है और कुल आबादी के 50 प्रतिशत से अधिक 25 वर्ष से कम आयु के लोग हैं। अगले दशक में 15 से 59 आयु वर्ग की आबादी और बढ़ने की उम्मीद है। भारत अपनी इस युवा आबादी से काफी लाभ उठा सकता है लेकिन हमारे देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रोजगार लायक कौशल और ज्ञान के साथ श्रम बल तैयार करना एक चुनौती है।

हर साल 1.3 करोड़ से ज्यादा भारतीय काम करने वाली उम्र में प्रवेश करते हैं। आईटीआई संस्थानों, पोलिटेक्निकों, स्नातक कॉलेजों, प्रोफेशनल कॉलेजों आदि में प्रशिक्षण और शैक्षणिक क्षमताओं को जोड़कर देखें तो देश में कुल 30 लाख वार्षिक प्रशिक्षण क्षमता है। इन संस्थानों में किसी शिक्षित/कुशल भारतीय के निर्माण पर 1 से 4 साल तक लगते हैं। इसलिए भले ही तेजी से क्षमता निर्माण की होड़ लगी हो, जिस गति से नए भारतीय काम करने वाली उम्र में प्रवेश कर रहे हैं, उसमें प्रशिक्षण के लिए लंबी अवधि की तुलना में धीमी गति से कौशल विकास की गति को बनाए रखने के लिए 10 लाख से अधिक की इस खाई को पाटना बहुत मुश्किल काम है। इस मुद्दे पर ध्यान देना भारत की बहुसंख्यिक आबादी की क्षमता को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

इसके मद्देनजर ही भारत सरकार ने भारत में **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय** का गठन किया है जिसने **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना** (पीएमकेवीवाई) नामक प्रमुख कौशल विकास योजना की शुरुआत की है, ताकि भारत में कौशल विकास पर आधारित योग्यताओं को नई गति प्रदान की जा सके। कौशल विकास प्रमाणीकरण और पुरस्कार योजना का उद्देश्य परिणाम– आधारित कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए, भारतीय युवाओं की एक बड़ी संख्या को सक्षम और एकजुट करना है, ताकि उन्हें रोजगार और आजीविका मिल सके। यह योजना प्रशिक्षण संस्थानों पर आधारित योग्यताओं पर चलने वाले उद्यमों और प्रशिक्षण–आधारित योग्यताओं की कमी के कारण बाजार में असफल होने वाले उद्यमों के लिए है। इस परियोजना की शुरुआत 15 जुलाई, 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने की थी। योजना का पहला वर्ष यानी 2015–16 इस योजना की नींव को पुख्ता बनाने और आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया। यह योजना नियोक्ताओं, विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र के लिए कुशल जनशक्ति का एक प्रमुख स्रोत बन रही है।

कौशल विकास कार्यक्रम 45 लाख परिवारों को कवर कर रहा है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह प्रमुख कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराता है।

अंसगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वित्तवर्ष 2017 में इसके तहत रिकॉर्ड 1.80 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। ग्रामीण उद्यमियों को सस्ते यात्री वाहन उपलब्ध कराकर युवाओं को वैकल्पिक रोजगार प्रदान किया जा रहा है। **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** के तहत, सरकार अधिक से अधिक महिलाओं को स्वयंसहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए **आजीविका स्टोर** खोलने की योजना भी बना रही है।

पीएमकेवीवाई को प्रभावी बनाने के लिए नवंबर 2016 में इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। जैसे हर पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्र पर आधार बायोमेट्रिक्स और सीसीटीवी से निगरानी को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशिक्षकों के स्टैंडर्ड को पुनर्निधारित किया गया है। बायोमेट्रिक्स की हाजिरी से ये इसकी निगरानी की जाएगी कि छात्र नियमित रूप से प्रशिक्षण लेने के लिए आ रहे हैं। सेक्टर स्किल कौंसिल से दक्षता का प्रशिक्षण पाए प्रशिक्षक तय करेंगे कि प्रशिक्षण हासिल करने आए छात्रों को हुनरमंद बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। इसके अलावा प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षार्थियों को उद्यमी बनाने में मदद करने की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षणदाता केंद्रों के लिए प्रशिक्षण उपरांत "रोजगार मेला" लगवाने का प्रावधान है। ये नई व्यवस्था पूर्व में पीएमकेवीवाई के संचालन में मिली खामियों के निवारण के लिए की गई हैं।

पीएमकेवीवाई से प्रशिक्षण हासिल करके निकले लोगों को उद्यमिता ऋण देने के लिए बैंकों को खास निर्देश दिया गया है। पीएमकेवीवाई से प्रशिक्षित हुनरमंदों की उद्यमिता से नए रोजगार का सृजन हो, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों के जरिए माली, प्रेसमैन, पल्मबर, इलैक्ट्रिक फीटर, हेल्थ वर्कर, सुरक्षा गार्ड, टेलरिंग जैसे दो सौ पच्चीस किस्मों के हुनर के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन कौशल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन अपने आप में बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रसाधन बन रहा है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्रों के अलावा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से उच्चस्तरीय कौशल विकास के बड़े प्रशिक्षण केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इन केंद्रों की शुरुआत के लिए सरकार की ओर से प्रशिक्षण में लगी कंपनियों को अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जा रही है। पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण केंद्रों पर घंटों में सीमित प्रशिक्षण से तैयार प्रशिक्षु आईटीआई व पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा होल्डर वाले रोजगार पाने के हकदार बन रहे हैं।

पीएमकेवीवाई केंद्रों तक प्रशिक्षुओं को आकर्षित करने के लिए यात्रा भत्ता व रहने–ठहरने के खर्च का प्रावधान किया गया है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार तलाशने के दौरान दो महीने की आर्थिक मदद सीधे प्रशिक्षु के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने चार वर्षों (2016–20) में एक करोड़ नए लोगों को प्रशिक्षित करने का ध्येय रखा है। इसमें से साठ लाख प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षित होंगे तो 40 लाख कार्यरत कर्मचारियों को गुणवत्ता वृद्धि का प्रशिक्षण दिया जाना है। इसके लिए योजना मद से 12000 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। आम बजट में रोजगार सृजन के संदर्भ में प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का देशभर के 600 जिलों में विस्तार करने की घोषणा की गई।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना की शुरूआत 15 जुलाई, 2015 को की गई।
- कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा
- 2022 तक 40 करोड़ युवाओं को अलग अलग विधाओं में कुशल बनाने का लक्ष्य।
- 596 जिलों में 8479 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए।
- 11 लाख से अधिक युवाओं का नामांकन किया गया, 375 व्यवसायों में प्रशिक्षण।
- पीएमकेवीवाई (2015–16) के हिस्से के रूप में 19.85 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया और 2.49 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।
- पीएमकेवीवाई (2016–2020) के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण, प्राथमिक प्रशिक्षण और विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत 16.37 लाख लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य; अब तक 2.72 लाख नामांकन।
- योजना के अंतर्गत सभी नामांकित उम्मीदवारों में करीब 50 प्रतिशत महिलाएं।
- इस योजना में पिछली (यूपीए के अंतर्गत) स्टार योजना की तुलना में 40 प्रतिशत अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अलावा विदेश जाकर नौकरी करने वालों का ख्याल रखकर देशभर में सौ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे उन्नत प्रशिक्षण तथा विदेशी भाषा के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विदेश यात्राओं के दौरान अनेक सफल रैलियों से यह बात साबित हो चुकी है कि भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर देश में मौजूद हैं। पहले ये बिना किसी खास प्रशिक्षण के विदेश जाने की तैयारी में रहते थे। खास हुनर के अभाव में विदेशों में भारतीयों के शोषण की शिकायतें आम थी। अब जब प्रशिक्षित होकर यानी हुनरमंद होकर विदेश पहुंचेंगे तो उनके सामने सम्मानजनक रोजगार का संकट नहीं रहेगा।

केंद्र सरकार की ओर से प्रशिक्षण कार्यक्रम पर जोर देने के साथ स्वावलंबन के लिए आजीविका प्रोत्साहन कार्यक्रम **"संकल्प"** की शुरुआत की गई है। इसके तहत साढ़े तीन करोड़ युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय वित्तीय प्रावधान के तहत स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम **"स्ट्राइव"** के अगले चरण पर मौजूदा वित्तवर्ष में 2200 करोड़ रुपये

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता सहायता योजना

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कुशल श्रमबल तैयार करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। इसके तहत उद्योग, अभ्यास उन्मुख, प्रभावी और कुशल तरीके से औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यह अपनी तरह की पहली योजना है, जिसमें नियोक्ता को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रशिक्षु के लिए निर्धारित वजीफे की 25 प्रतिशत राशि सीधे नियोक्ता को दी जाती है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सहित उद्योग के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर इस पहल के अंतर्गत 2019–20 तक 50 लाख प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की उम्मीद है। देश की प्रौद्योगिकी और औद्योगिक वृद्धि के वास्ते श्रमबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में कौशल विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के तहत 1950 के दशक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे। 2014 से 2017 की अवधि में 3342 नए आईटीआई स्थापित किए गए, जिनमें छात्रों की संख्या बढ़कर 5,85,284 हो गई है। रोजगार या स्वयं का कारोबार शुरू करने के जरिए आईटीआई से लाखों युवाओं को आजीविका कमाने में मदद मिली है। दिसंबर, 2014 में सरकारी आईटीआई में सुधार कर इन्हें आदर्श आईटीआई में परिवर्तित करने की योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग उन्मुखी आईटीआई के लिए मानदंड तैयार करना था, जो अन्य आईटीआई के लिए आदर्श के रूप में होगा और इससे आईटीआई शिक्षा की साख भी बढ़ेगी। इन आदर्श आईटीआई की स्थापना अपने क्षेत्र के औद्योगिक केंद्रों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें समाधान उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। सार्वजनिक–निजी सहभागिता (पीपीपी) के जरिए 1396 सरकारी आईटीआई में सुधार करने की योजना के तहत 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कुल 1227 सरकारी आईटीआई को कवर किया गया है। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप देश में कुशलता को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कारों सहित कई अन्य प्रोत्साहन आधारित योजनाएं भी शुरू की हैं।

खर्च किए जाने है। "स्ट्राइव" के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं बाजार में इसकी प्रासंगिकता बढ़ाने और औद्योगिक क्लस्टर के जरिए प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों के सुदृढीकरण पर विशेष जोर है।

पीएमकेवीवाई के साथ केंद्र सरकार ने स्टार्टअप को सहूलियतों के साथ बढ़ावा देने की बात की है। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया की नई योजना को गति देने के फैसले की यह प्रमुख वजह है। इसके तहत यूनिक बिजनेस आइडिया वाले व्यापार पर सरकार 55 फीसदी तक सरकारी मदद मुहैया करा रही है।

उद्यमिता के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना महत्वपूर्ण है। इसके जरिए गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे युवकों को उद्यमी बनाने का उपाय है। व्यवासाय का इच्छुक भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना का लाभ लेकर उद्यमिता शुरू कर सकता है। मुद्रा योजना में बैंक से बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक की मुद्रा सहायता (ऋण मदद) का प्रावधान है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत गांवों में मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों खासकर कक्षा 10 और 12 के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों पर ध्यान दिया जाएगा। गांवों में स्कूल छोड़ने का रुझान काफी है, इसलिए इस योजना का फायदा ग्रामीणों को ज्यादा मिलने की संभावना है। युवाओं को कौशल मेलों के जरिए जुटाया जाएगा और इसके लिए स्थानीय–स्तर पर राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय–आधारित संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। स्वरोजगार के लिए दर्जी, हाथ कढ़ाई, छोटे पोल्ट्री किसान, ई–रिक्शा चालक और तकनीशियन, बढ़ई, सिलाई ऑपरेटर वगैरह शामिल हैं। देश की पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत के संरक्षण के लिए चिकनकारी और हस्तनिर्मित खेल के सामान जैसे प्रशिक्षण भी इसके दायरे में हैं। इनके अलावा भी बहुत से क्षेत्रों को ये योजना कवर कर रही है। जो लोग कृषि जगत में शोध और विकास कार्यों से जुड़े हैं, वो भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। ऐसे लोग किसानों को खेती के आधुनिक तरीके अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। उनकी ये प्रेरणा किसानों की आमदनी बढ़ाने में मददगार होगी। साथ ही पशु स्वास्थ्य का प्रशिक्षण लेकर भी युवा रोजगार पा सकते हैं।

कौशल और उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कौशल विकास का कोर्स करने वालों के लिए 5 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपये के कर्ज का प्रावधान है। योजना दो पहलुओं पर काम कर रही है। कम अवधि वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम तो है ही, जो लोग पहले से प्रशिक्षण प्राप्त हैं उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करना भी इसमें शामिल है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अल्प अवधि वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में 8 लाख 45 हजार 107 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। इनमें से 3 लाख 9 हजार 760 युवा इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जबकि 5 लाख 16 हजार 861 लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। प्रशिक्षित लोगों में 54 हजार 563 लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। दूसरी ओर, पहले से ही प्रशिक्षण प्राप्त लोगों में करीब चार लाख लोगों ने प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण कराया, जिनमें से 2 लाख 90 हजार 99 लोगों को प्रमाणपत्र पा चुके हैं।

इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में दूसरे पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल है। कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान' की मांगों को भी ध्यान में रखा गया है। ये अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए अहम पहल है। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन

फ्रेमवर्क और उद्योग द्वारा तय मानदंडों पर आधारित है। मूल्यांकन और प्रमाणपत्र के आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाल हर युवा को औसतन 8,000 रुपये का पारितोषिक दिया जाएगा।

भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत 100 दिन में 51216 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और हर साल 1 लाख 44 हजार युवाओं को प्रशिक्षण देने की योजना है। इसके लिए फुटवेयर डिजाइन इंस्टीट्यूट की चार नई शाखाएं हैदराबाद, पटना, बनूड़ (पंजाब) और अंकलेश्वर (गुजरात) में खोलीं जा रही हैं ताकि प्रशिक्षण संसाधनों को और विकसित किया जा सके। इस उद्योग में कुशल कामगारों की जबर्दस्त कमी है इसलिए ज्यादातर प्रशिक्षित लोगों को आसानी से काम मिल जाता है।

योजना के राज्य–स्तरीय घटक के रूप में, राज्य कौशल विकास मिशन ने संबंधित राज्यों के शिल्पकारों और हस्तकला समूहों को पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षण के लिए भी प्रोत्साहित किया। देश की पारंपरिक कला और शिल्प की विरासत के संरक्षण के लिए नई पीढ़ी के कुशल कारीगरों और शिल्पकारों का निर्माण एक बहुत ही जटिल कार्य है। चिकनकारी, हस्तनिर्मित खेल के सामान आदि पर प्रशिक्षण जैसी पायलट योजनाओं को पीएमकेवीवाई के तहत पहले ही चुना जा चुका है।

1. प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचे के मानकीकरण और प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्पष्ट गुणवत्ता मानक
2. अंतिम परिणाम के एक उपाय के रूप में नियुक्तियों पर अनवरत फोकस
3. उद्देश्यमूलक और प्रक्रिया आधारित निर्णय लेने के ढांचे के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि

इन तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर पीएमकेवीवाई (2016–2020) के लिए सुधरे हुए मानकों को लागू किया जाएगा –

1. **प्रशिक्षण केन्द्रों की एक्रीडिटेशन और मान्यता**– प्रशिक्षण केन्द्रों की एक्रीडिटेशन और मान्यता की नई प्रक्रिया प्रशिक्षण प्रदाताओं का ध्यान प्रशिक्षण केंद्रों की ओर खींचेगी। सेक्टर स्किल काउंसिल्स विस्तृत बुनियादी ढांचे के दिशा–निर्देशों के आधार पर बनाए जाएंगे, जो निरीक्षण के अधीन होंगे। एक्रीडिटेशन का निर्णय प्रशिक्षण केंद्रों की रेंटिग और ग्रेडिंग पद्धति पर आधारित होगा। संबंधित सेक्टर स्क्लि काउंसिल्स स्वीकृति रोजगार भूमिका के लिए प्रशिक्षण केंद्र को प्रमाणीकरण प्रदान करेगा। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर निरीक्षण और आत्म–रिपोर्टिंग ऐप्सा के माध्यम से प्रौद्योगिकी से लबरेज होगी। इस प्रक्रिया की सहायता के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पॉर्टल (smartnsdc.org) भी विकसित किया जाएगा।
2. **कोर्स की सामग्री का मानकीकरण**– सेक्टर स्किल काउंसिल्स पीएमकेवीवाई (2016–2020) के तहत निर्धारित प्रशिक्षणों के लिए मॉडल सामग्री पाठ्यक्रम का प्रकाशन करेगा, जिससे पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता के मानक सुनिश्चित किए जा सकेंगे। एक मानकीकृत प्रस्तावना किट प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षुओं की दी जाएगी।
3. **प्रशिक्षकों का अनिवार्य प्रशिक्षण**– संबंधित सेक्टर स्किल काउंसिल्सि में 'ट्रेन द ट्रेनर' के तहत प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।
4. **विशिष्ट नामांकन और आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली**– बैच निर्माण के समय सभी प्रशिक्षुओं के आधार आईडी की मान्त्ता जांची जाएगी, जिससे फर्जी नामांकनों से बचाव होगा। पीएमकेवीवाई के तहत आधार कार्ड सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस) के जरिए उपस्थिति अनिवार्य होगी। पूर्वोतर और जम्मू–कश्मीर के चुने हुए राज्यों में, जहां आधार की उपस्थिति अभी कम है, प्रशिक्षण प्रदाताओं के लिए बायोमेट्रिक उपकरण से उपिस्थिति अनिवार्य है।
5. **आकलन के लिए मोबाइल एप साक्ष्य**– आधारित आकलन के लिए एक नया मोबाइल एप विकसिल किया जा रहा है। यह माना गया है कि ये बेहतर प्रशिक्षण परिणामों को सामने लाएगा। इस योजना के तहत प्रशिक्षण के बाद 70 प्रतिशत मजदूरी वाले रोजगार अनिवार्य बना दिए जाएंगे और प्रशिक्षण प्रदाताओं को उसके अनुसार प्रोत्साहन दिया जाएगा। पीएमकेवीवाई बड़े पैमाने पर और निर्धारित गुणवत्ता पर योग्यता–आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह भारतीय कार्यबल, विशेषकर अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के नजरिए, ज्ञान और कौशल में सफलतापूर्वक वृद्धि कर रहा है। समय के साथ, यह योजना मौजूदा और भविष्य में रोजगार इकोसिस्टम के लिए एक व्यापक और समग्र कार्यबल प्रदान करेगी।

कौशल विकास योजनाओं को कई स्तर पर वित्तीय मदद देने का प्रावधान है। इनमें राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण बैंक और मुद्रा योजना की भूमिका अहम है। मुद्रा योजना आज सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रही है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- युवाओं में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने 08 अप्रैल, 2015 को इसकी शुरुआत की।
- बैंकों द्वारा बिना किसी गारंटी के तीन वर्गों – शिशु, किशोर और तरुण के लिए आसान कर्ज उपलब्ध।
- 13 अप्रैल 2017 तक 4 करोड़ से अधिक लोगों को 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण बांटे गए।
- 2016–17 में 1.22 लाख करोड़ रुपये के बजट आवंटन की तुलना में 2017–18 में इसे दोगुना कर 2.44 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया।
- 70 प्रतिशत ऋणों का लाभ महिला उद्यमियों द्वारा लिया गया।

(लेखक डीडी किसान चैनल में सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं।)

ई–मेल : malviyakk@hotmail.com